

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 197]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 10 जुलाई 2024—आषाढ़ 19, शक 1946

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2024

क्र. GAD-2-0008-2024-GAD-1-एक-(GAD).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात:-

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची में,—

- (1) विद्यमान शीर्षक "आठ—परिवहन विभाग" में, भाग (अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय में, विद्यमान अनुक्रमांक 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए.
- (2) विद्यमान शीर्षक "उन्नीस—लोक निर्माण विभाग" में, भाग (अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय में, अनुक्रमांक 9 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात:-

"10. रेल इनमें नई रेल लाईनों के प्रस्ताव और उनका निर्माण शामिल है एवं निर्माण कार्यों हेतु रेल विभाग से समन्वय."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेशरिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2024

क्र. GAD-2-0008-2024-GAD-1-एक-(GAD).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक GAD-2-0008-2024-GAD-1-एक-(GAD), दिनांक 10 जुलाई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेशरिया, उपसचिव.

Bhopal, the 10th July 2024

No. GAD-2-0008-2024-GAD-1-I-(GAD).- In exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules, In the Schedule,-

- (1) in the existing heading "VIII- TRANSPORT DEPARTMENT", in Part (A) Matters of Policy dealt within the Department, the existing Serial number 8 and entries relating thereto shall be omitted.
- (2) in the existing heading "XIX- PUBLIC WORKS DEPARTMENT", in Part (A) Matters of Policy dealt within the Department, after Serial number 9 and entries relating thereto, the following Serial number and entries relating thereto shall be added, namely:-

"10. Rail include proposals for new railway lines and their construction and co-ordination with the Railway Department for construction works."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJAY KATESARIA, Dy. Secy.